न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

आदेश

स्वत्व वाद संख्या 49/2019

दिनांकः 24.11.2023 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला प्रतिवादी द्वारा दिनांक 12.03.2021 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश संख्या 6 नियम 17 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी का कथन है कि जवाबदावे में टंकण की भूल की वजह से कुछ गलत टाइप हो गया है और चंद अल्फाज टाइप करना भूल गया है चूंकि मामले में संशोधन औपचारिक प्रकृति का है और इससे यह कि यह संशोधन वाद पत्र की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा अतः आवेदन पत्र में वर्णित संशोधन जो कि बयान तहरीरी के पेज न0 2 पैरा न0 5 के दूसरे लाईन में लब्ज ''है'' के बाद वो लब्ज ''मुदईयान'' के पहले लब्ज ''जावक्ते'' कलमजद कर उसके जगह ''तावख्ते'' मुनदर्ज किया जाए यह कि पेज न0 3 के पैरा आठ के आठवें लाइन के अंत में ''नंदकिशोर'' को कलमजद कर ''नन्द कुमार'' मुनदर्ज किया जाए । यह कि बयान तहरीरी के पेज न0 5 के पैरा न0 11 के दूसरी लाइन में लब्ज ''वो'' के बाद वो लब्ज ''हिस्से के पहले लब्ज ''जिसके'' कलमजद कर उसके जगह ''जिस फरीक के'' मुनदर्ज किया जाए व इसी पैरा के तीसरी लाईन शब्द ''उसके अनुसार'' के बाद शब्द ''खरीद'' के पहले शब्द ''वह फरीक'' दर्ज किया जाए। इसी तरह पेज न0 5 पर पैरा 12 के अंत में व पैरा 13 से पहले ''बाजे रहे कि लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा अपने तीन पेसरान बच्चू मिश्रा, धर्मराज मिश्रा व जगन्नाथ मिश्रा को छोड़कर कजा कर गये। धर्मराज मिश्रा अपने एक पे0 परमा मिश्रा को छोड़कर कजा कर गये। परमा मिश्रा अपनी एक जौजे दुखना कुंवर को छोड़कर कजा कर गए । यह कि बयान तहरीरी के पेज न0 6 पर पहले लाइन में शब्द दस्तावेज के बाद वो लब्ज ''बिन्देश्वरी'' के पहले शब्द ''बनाम'' मुनदर्ज किया जाए। इसी पेज पर दूसरे लाईन में शब्द सिंह के बाद अल्फाज को फरोख्त'' के पहले का अल्फाज कलमजद कर उनके जगह अलफाज ''वल्द रास्वरूप सिंह नबालिग'' मुंदर्ज किया जाए। वो इसी पेज पर तीसरे लाइन में अलफोज ''विन्देश्वरी सिंह'' के बाद वो लब्ज ''नाबालिग'' के पहले अलफाज ''उर्फ चन्देश्वर सिंह'' कलमजद किया जाये। वो इसी पेज के इसी लाइन में लब्ज ''लेहाजा'' के बाद वो लब्ज ''खरीदगी'' के पहले ''जिसका जरसेमन राजस्वरूप सिंह अदाय कर'' मुंदर्ज किया जाए। को इसी पेज पर चौथे लाइन पर लब्ज ''एराजी'' के बाद वो लब्ज ''पर पेदर'' के पहले लब्ज ''मुजकुर'' मुंदर्ज किया जाये। वो इसी पेज पर पारा नम्बर 13 के अंत में तथा पारा नम्बर 14 के पहले हसब जैल अल्फाज मुंदर्ज किया जाए। ''राम स्वरूप सिंह अपने दो पेसरान बिन्देश्वर सिंह वो चंदेश्वर सिंह को छोड़ कजा कर गये। बिन्देश्वर सिंह बिना औलाद कजा कर गये वो उनका खुंट सुख गया बाद कजा करने बिन्देश्वर सिंह तमामी जायदाद बिन्देश्वर सिंह, चन्देश्वर सिंह को बजरीय सर्वभाइवर–शिप हासिल हुआ।'' यह कि बयान तहरीरी के पेज नम्बर 6 पर पारा नम्बर 14 के दूसरे लाईन में फिगर ''1036 की'' के बाद वो फिगर ''0–7–0'' के पहले का लब्ज कलमजद कर उसके जगह ''खरीदगी ऐराजी वो दीगर जायदाद कुल'' मुंदर्ज किया जाए। वो इसी पारा के इसी लाइन के अंत का अल्फाज ''अन्य अराजीयात के'' कलमजद किया जाय वो इसी पारा के तीसरे लाइन में लब्ज ''मिश्र के'' के बाद वो लब्ज ''दीगर'' के पहले लब्ज ''नन्दकुमार मिश्रा की'' मुंदर्ज किया जाये। वो इसी पारा के छइे लाइन में लब्ज ''वो'' के बाद वो लब्ज ''रधुनाथ तिवारी'' के पहले लब्ज'' जो ऐराजी बजरीय हिस्सेदारी'' मुंदर्ज किया जाये वो इसी लाइन में लब्ज ''रघुनाथ तिवारी'' के बाद वो लब्ज ''बजरीय'' के पहले ''की थी उसे'' मुंदर्ज किया जाए। वो इसी पारा में नौवे लाइन के अंत में वो दसवे लाइन के पहले लब्ज ''दिया'' मुंदर्ज किया जाए। वो इसी पेज पर सबसे अंतिम लाइन में लब्ज ''को एक'' के बाद वो लब्ज ''गेना'' के पहले लब्ज ''मोबदलनामा'' कलमजद कर उसके जगह ''बदलैननामा'' मुंदर्ज किया जाए। यह कि बयान तहरीरी के पेज नम्बर 7 पर दूसरे लाइन में लब्ज ''शामिल है'' के बाद वो लब्ज ''गेना मिश्रा'' के पहले के लब्ज ''उसे'' को कलमजद कर उसके जगह लब्ज ''बादहूं'' मुंदर्ज किया जाये। वो इसी पेज पर चौथे लाइन के प्रथम लब्ज ''को'' को कलमजद कर उसके जगह लब्ज''की'' मुंदर्ज किया जाये। वो इसी पेज पर पारा 14 के अंत में तथा पारा 15 के पहले हसब जैल अल्फाज मुंदर्ज किया जाए। ''अर्ज कर देना लाजमी है कि गेना मिश्रा भी कजा कर चुके हैं वो वाद कजा करने गेना मिश्र तमामी जायदाद गेना मिश्र बरासतन मुदालह नम्बर 1 नागेन्द्र मिश्र को हासिल हुई जिस पर मुदालह नम्बर 1 का

कब्जा रहता चला आता है।'' प्रतिवादी का कथन है कि न्यायहित में संशोधन आवेदन स्वीकृत करने की कृपा करे।

वादी की तरफ से प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। जिसके कारण दिनांक 21.07.2022 को न्यायालय ने अपने लिखित आदेश द्वारा वादी को प्रतिउत्तर देने से वंचित कर दिया।

उपस्थित पक्षकार को सुना। मामले में प्रतिवादी के आवेदन का अनुशीलन किया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत वर्णित है कि ***''न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधो पर जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधित किये जाएंगे जो कि पक्षकारों के मध्य में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।***

परन्तु विचारण के प्रारंभ होने के उपरांत संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि उचित तत्परता के उपरांत भी पक्ष विचारण प्रारंभ होने से पूर्व मामला नहीं उठा पाया।''

प्रस्तुत मामले में समस्थ तथ्यों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी के द्वारा दिया गया आवेदन साक्ष्य के पूर्व दिया गया है। मामले में प्रतिवादी का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह लिखित कथन को बेहतर एवं युक्तियुक्त सावधानी के साथ प्रस्तुत करे परन्तु इस मामले में प्रतिवादी ऐसा नहीं कर सका है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 में यह वर्णित है कि मामले में अभिवचन में संशोधन वाद की कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में यद्यपि प्रतिवादी के द्वारा उचित तत्परता नहीं दिखाई गयी है परन्तु संशोधन को देखने से प्रतीत होता है कि संशोधन औपचारिक प्रकृति का है और इससे वाद पत्र की प्रकृति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होगा अतः 1000 रुपये खर्चे के साथ प्रस्तुत आवेदन इस निर्देश के साथ कि प्रतिवादी कार्यालय के साथ सहयोग कर अग्रिम तिथि में संशोधन पूर्ण करे। खर्चा की राशि न्यायालय में जमा की जाएगी, प्रतिवादी का व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। और एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक.....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित

अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।